न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :—21 / 2013 दायर दिनांक 29.10.13

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर ....प्रार्थी
बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत 9 डब्लयु तहसील श्री करणपुर

अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः—
1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री बलराम स्वामी एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 17/12/17

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि आराजी चक 9 डब्लयु, खसरा नम्बर 51 की 9.00 बीघा भूमि गैर मुमकिन जोहड़ के नाम दर्ज थी। जिला कलक्टर श्री गंगानगर द्वारा जरिये आदेश क्रमांक एफ 12(3)(11)राजस्व / 78 / द्वारा खसरा नम्बर 50 की 15.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 51 की 9.00 बीघा भूमि में से 1.00 बीघा भूमि हड्डा रोड़ी हेतु आवंटन किया गया है। जोहड़ की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण अवैध है। रैफरैंस स्वीकार कर हड्डा रोड़ी को आवंति भूमि को निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड़ दर्ज किया

रेफरैंस पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री बलराम स्वामी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि आराजी जेर रफरैंस जोहड पायतन की थी जिसे आवंटन करने का अधिकार जिला कलक्टर को नहीं था। रैफरेंस कर्ता भूमिधारक है, अतः वह रफरैंस करने का अधिकारी है। बाद सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

इसके विरोध में लायक वकील अप्रार्थी का कथन है कि कानूनी प्रकिया अपनाकर आवंटन किया गया था व वह रकबा आवंटन का पात्र पाये जाने के कारण ही आवटन किया गया था। जिस पर विधि प्रकोष्ठ द्वारा भी कोई आपति नहीं की गई थी। जोहड पायतन की तत्समय आवश्यकता नहीं थी न ही अब ही कोई आवश्यकता है। अतः रेफरेंस निरस्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :—
जिला कलक्टर ऐसा रिकार्ड शुद्धता व वैधता की जांच हेतु रिकार्ड मंगाकर राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल को भेज सकते हैं।

अति. जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, पदमपुर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू–प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी संस्था के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 17.7.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर